झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषयः– झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली– 2022 की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों की आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के चयन मानदेय एवं शर्त्तों के लिए झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली– 2022 का गठन किया गया है।

2. इस नियमावली में आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन एवं मानदेय तथा अन्य सेवा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु प्रावधान किया गया है।

3. एतद् संबंधी नियमावली इस संकल्प के साथ संलग्न करते हुए इसे **झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली– 2022** के रुप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस नियमावली का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

5. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

6. एतद् पर दिनांक–14.09.2022 को राज्य मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठक की मद सं0–35 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प (अनुलग्नक सहित) को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्तों को भेजी जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0–यथोक्त।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05/म0स0/आ0 के0से0श0नि0– 335/2022–2238
राँची, दिनांक :–30.09.2022

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 300 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक –05/म0स0/आ0 के0से0श0नि0– 335/2022–2238
राँची, दिनांक :–30.09.2022

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

D:\d drive\Ghose Sir\Mantriparishad Sanlekh_1.DOC - 404 -

Scanned with OKEN Scanner

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची -834004

राँची, दिनांक :- 30.09.2022

अधिसूचना संख्या–05/म०स०/आ० के०से०श०नि०-335/2022- 2239 /झारखंड राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों की आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के चयन, मानदेय एवं शर्तों के विनिमयन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

"झारखण्ड आंगनबाडी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली "झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं पर होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं :- जब तक कोई विषय या प्रसंग के विरुद्ध कोई बाध्य न हो :-

(I.) "विभाग" से अभिप्रेत है; महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग;

(II.) "आंगनबाड़ी सेविका" से तात्पर्य है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका;

(III.) "आंगनबाड़ी सहायिका" से तात्पर्य है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका;

(IV.) "आम सभा" से तात्पर्य है आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के लाभार्थी परिवारों की सभा;

(V.) "माता समिति" से तात्पर्य है आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के लाभार्थी माताओं की समिति;

(VI.) "संविदा" से अभिप्रेत है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पंचायत स्तरीय समिति द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में चयनित आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के बीच किया गया अनुबंध;

Scanned with OKEN Scanner

(VII.) "नियमावली" से अभिप्रेत है झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022;

(VIII.) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की सरकार;

(IX.) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण;

(X.) "परियोजना" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास परियोजना;

(XI.) "चयन वर्ष" से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर);

(XII.) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में गठित समिति;

3. आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका के चयन के लिए निम्नांकित अर्हताएं/शर्तें होगी :-

(1) आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (बारहवीं कक्षा) उत्तीर्ण होगी एवं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (दसवीं कक्षा) उत्तीर्ण होगी। Sevika - 12th mandatory

(2) आवेदन के समय आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदिका की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होगी

(3) आवेदिका पोषक क्षेत्र के गाँव की बहू होनी चाहिए। अविवाहित लड़कियों का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाएगा। अपवाद में वैसी अविवाहित लड़कियां चयनित हो सकती है जो दिव्यांग हों परन्तु कार्य करने में सक्षम हों

(4) सामान योग्यता रहने पर चयन में विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य नहीं किया जायेगा कि वे गाँव की बहू नहीं हैं।

(5) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका प्रश्नगत केंद्र के लाभान्वितों के उसी वर्ग से होनी चाहिए जिसका उस आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभान्वितों में बाहुल्य हो।

(6) आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभान्वितों के बाहुल्य वाले वर्ग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सेविका/सहायिका का चयन उसी पोषक क्षेत्र में निम्न अग्रता से किया जायगा -

a. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति

b. अत्यंत पिछड़ा वर्ग

c. पिछड़ा वर्ग

d. सामान्य वर्ग

(7) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

(8) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए निम्नांकित रूप से चयन समिति का गठन किया जाएगा :-

a. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी - अध्यक्ष

b. संबंधित केंद्र की प्रभारी महिला पर्यवेक्षिका – संयोजक

c. संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया – सदस्य

d. पंचायत समिति का वह सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो – सदस्य

e. आंगनबाड़ी क्षेत्र की ए.एन.एम. – सदस्य

f. आंगनबाड़ी क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक - सदस्य

(9) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन, चयन समिति के द्वारा आम सभा के समक्ष किया जाएगा। चयन समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष के अलावे कम से कम तीन और सदस्यों का होगा ।

(10) चयन की प्रक्रिया :-

A. चयन समिति के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की तिथि का निर्धारण किया जाएगा तथा उसका विस्तृत प्रचार सभी लाभान्वितों के बीच किया जाएगा।

B. कम से कम 15 दिन के अग्रिम सूचना देकर आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वितों की आम सभा की बैठक आहूत की जाएगी।

C. प्रचार – प्रसार का दायित्व संबंधित महिला पर्यवेक्षिका का होगा जो पोषक क्षेत्र में लाभान्वित परिवारों की सभा का आयोजन कर कम से कम 30 लाभान्वित परिवारों के व्यक्तियों का हस्ताक्षर आम सभा की सूचना पर करवाकर प्रमाण स्वरुप सुरक्षित रखेंगें

D. आम सभा की बैठक उसी पोषक क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर की जायगी जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित हो । चयन के लिए आयोजित आम सभा में कम-से-कम 50 लाभान्वित परिवारों के सदस्य उपस्थित होंगे, जिसमें कम से कम 25 महिलाएं होगी।

E. आम सभा में आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगें एवं आवेदिका का चयन निम्न सारणी के अनुरूप दिए गए अंकों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त करने पर किया जाएगा -

Scanned with OKEN Scanner

क्रम.	शैक्षणिक योग्यता	देय अंक	अधिकतम अंक
1.	मैट्रिक में प्राप्तांक 75% से अधिक होने पर	15	15
	60% से अधिक एवं 75 % अथवा उससे कम	11	
	45% से अधिक एवं 60 % अथवा उससे कम	7	
	45% अथवा उससे कम	3	
2.	इंटरमीडीएट में प्राप्तांक 75% से अधिक होने पर	15	15
	60% से अधिक एवं 75 % अथवा उससे कम	11	
	45% से अधिक एवं 60 % अथवा उससे कम	7	
	45% अथवा उससे कम	3	
3.	स्नातक में प्राप्तांक 75% से अधिक होने पर	10	10
	60% से अधिक एवं 75 % अथवा उससे कम	7	
	45% से अधिक एवं 60 % अथवा उससे कम	4	
	45% अथवा उससे कम	1	
4.	स्नातकोत्तर	5	5
5.	विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा	5	5
6.	पोषण सखी के रूप में संतोषप्रद कार्य अनुभव	5	5
7.	आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में 5 वर्ष अथवा उससे अधिक का संतोषप्रद कार्य अनुभव (सेविका पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं पूर्ण करने पर) 5 वर्ष से 8 वर्ष	5	10
	8 वर्ष से 10 वर्ष	7	
	10 वर्ष से अधिक	10	

(11) सुयोग्य श्रेणी के अधिकतम प्राप्तांक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

(12) एक से ज्यादा उम्मीदवार के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में 10वीं कक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 10वीं कक्षा के प्राप्तांक भी समान रहने की स्थिति में 12वीं कक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

(13) आम सभा की कार्यवाही को बैठक पंजी में विस्तृत रूप से अंकित किया जायेगा एवं सभी निर्णयों को कारण सहित वर्णित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(14) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन सुनिश्चित करवाने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें ।

(15) चयन के एक सप्ताह के भीतर सूची एवं कार्यवाही विवरणी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी जो उप विकास आयुक्त के अनुमोदन हेतु इसे एक सप्ताह के भीतर उन्हें प्रेषित करेंगे ।

(16) उप विकास आयुक्त सूची की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर चयन का अनुमोदन कर देंगें। यदि किसी कारणवश 15 दिनों के भीतर अनुमोदन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यह सूची निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायेंगें, जिसे अनुमोदित करते हुए विभाग को सूचित कर दिया जाएगा।

(17) सूची के अनुमोदन के उपरान्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 3 दिनों के अन्दर चयन पत्र निर्गत कर देंगे।

4. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का प्रशासनिक नियंत्रण :-

(1) आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का प्रशासनिक नियंत्रण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अधीन होगा।

(2) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद निर्वाह नहीं किये जाने, अनियमितता अथवा अनुशासनहीनता बरते जाने की स्थिति में,गबन के प्रमाणित मामलों में अथवा अनैतिक कार्य में लिप्त रहने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उप विकास आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात उन्हें चयन मुक्त किया जा सकता है। इसके विरुद्ध प्रथम अपील उपायुक्त एवं द्वितीय अपील निदेशक,समाज कल्याण के पास की जा सकेगी।

(3) सेविकाओं/सहायिकाओं के चयन मुक्ति के संबंध में आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निर्गत करेंगें।

5. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के लिए मानदेय की स्वीकार्यता :-

(1) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को निम्न सारणी के अनुरूप प्रतिमाह मानदेय देय होगा जो नियमावली की स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा –

क्र	कर्मी	मानदेय (प्रतिमाह) (राशि रु० में)				
		केन्द्रीय योजनान्तर्गत		राज्य योजनान्तर्गत (100% राज्य)	राज्य संसाधन से कुल व्यय	कुल
		केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)			
1.	आंगनबाड़ी सेविका	2700/-	1800/-	5000/-	6800/-	9500/-
2.	लघु आंगनबाड़ी सेविका	2100/-	1400/-	6000/-	7400/-	9500/-
3.	आंगनबाड़ी सहायिका	1350/-	900/-	2500/-	3400/-	4750/-

Scanned with OKEN Scanner

(2) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कालांतर में सेविकाओं/सहायिकाओं के मानदेय में केन्द्रीय अंश की वृद्धि की जाती है, तो केन्द्रांश, इसके समानुपातिक राज्यांश में हुए वृद्धि को मानदेय की तदेन लागू दर से सामंजित किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दायित्व यथा - मानदेय में वृद्धि की अपेक्षा इस वृद्धि के कारण नहीं की जायेगी।

(3) संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में प्रतिवर्ष रु० 500/- की वृद्धि तथा आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में प्रतिवर्ष रु रु० 250/- की वृद्धि अनुमान्य होगी। यह वृद्धि प्रतिवर्ष माह जुलाई में की जाएगी।

(4) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा दैनिक कार्य की निगरानी के लिए पंचायत/वार्ड स्तरीय **प्रशासनिक प्राधिकार** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपनी अनुशंसा उपलब्ध करवाएगा जिसका स्वरुप निम्नवत होगा –

A. ग्रामीण क्षेत्र में

i. ग्राम पंचायत का मुखिया – अध्यक्ष

ii. संबंधित महिला पर्यवेक्षिका – सदस्य

iii. संबंधित पोषक क्षेत्र के निकटवर्ती प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक– सदस्य

B. शहरी क्षेत्र में

i. वार्ड पार्षद – अध्यक्ष

ii. संबंधित महिला पर्यवेक्षिका – सदस्य

iii. संबंधित पोषक क्षेत्र के निकटवर्ती प्राथमिक/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक– सदस्य

6. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के लिए निर्धारित सेवा शर्तें :-

(1) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की कार्य से निवृति की उम्र 62 वर्ष की होगी।

(2) कार्य में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की एक आश्रिता का (जो चयन की अन्य अर्हताएं पूर्ण करती हो) चयन उक्त आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका/सहायिका के रूप में किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(3) कार्य से निवृति के उपरांत सेविका/सहायिका को सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा।

(4) आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आच्छादित करते हुए लाभ प्रदान किया जाएगा जो समय समय पर निर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त सेविका/सहायिका का सामुहिक बीमा किया जायेगा, जो न्यूनतम रु0 500/- होगा, का वहन किया जाएगा।

7. अवकाश :-

(1) आकस्मिक अवकाश– महिला बाल, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संकल्प सं0- 1709, दिनांक-20.06.2018 में अंकित शर्तों के साथ एक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश एक साथ 9 दिनों से अधिक देय नहीं होगा ।

(2) मातृत्व अवकाश – 90 दिनों का मातृत्व अवकाश, अधिकतम दो अवसरों पर, देय होगा।

(3) विशेष अवकाश – प्रत्येक माह में एक साथ दो दिनों के लिए विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।

(4) अवकाश की स्वीकृति –

आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश अवकाश	मातृत्व अवकाश
सम्बंधित महिला पर्यवेक्षिका की अनुशंसा के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा	सम्बंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा

8. महिला पर्यवेक्षिका में नियुक्ति :-

(1) रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर वैसे आंगनबाड़ी सेविकाएँ जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं निर्धारित अर्हताएं रखती हो, उन्हें सीमित परीक्षा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के 25% पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(2) इस संबंध में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या – 2324, दिनांक-27.09.2019 का अध्याय चार प्रभावी रहेगा।

9. **प्रकीर्ण :-**

(1) इस नियमावली शर्त्त के अनुपालन हेतु निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार आवश्यक आदेश निर्गत कर सकेंगे, जिसका अनुपालन आवश्यक होगा।

(2) आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का कार्य, उत्तरदायित्व एवं अन्य शर्त्तों के संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा- निर्देशों के आलोक में, एवं आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा नियमावली संशोधित एवं संसूचित किया जा सकेगा।

10. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-**

(1) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से आंगनबाड़ी सेविका के चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) से सम्बंधित पूर्व निर्गत सभी आदेश/निदेश आदि इस नियमावली से निरसित माने जाएंगे। परन्तु, इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली/आदेश/संकल्प परिपत्र के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कारवाई मानी जाएगी, मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।

(2) एतद संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश/परिपत्र/राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगें

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक -05/म०स०/आ० के०से०श०नि०-335/2022-2239 राँची, दिनांक:-30.09.2022

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक -05/म०स०/आ० के०से०श०नि०-335/2022- 2239 राँची, दिनांकः- 30.09.2022

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड /मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/ निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड/ महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड/निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सचिव, समाज कल्याण बोर्ड, झारखण्ड/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड/अवर सचिव, झारखण्ड राज्य महिला आयोग, राँची/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/ सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

Scanned with OKEN Scanner